निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक : 2272/बा0वि0परि0/हौ0पो0 योजना/2016–17, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः हौसला पोषण योजनान्तर्गत 06 माह से 06 वर्ष आयु के अतिकुपोषित बच्चों के लिये फीडिंग कार्यक्रम हेतु धनराशि के अग्रिम आहरण के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या–74/2016/3034/60–2–16–2/3(01)/12टी0सी0, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 द्वारा अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त के क्रम में प्रदेश के 75 जनपदों की बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 06 माह से 06 वर्ष तक की आयु तक के अतिकुपोषित बच्चों को गरम पका–पकाया भोजन खिलाने हेतु रू0 24,71,62,300.00 (रू0 चौबीस करोड़ इकहत्तर लाख बासठ हजार तीन सौ मात्र) प्रतिमाह की दर से 03 माह (01 जनवरी, 2017 से 31 मार्च, 2017 तक) के लिए रूपये 74,14,86,900.00 (रू0 चौहत्तर करोड़ चौदह लाख छियासी हजार नौ सौ मात्र) की धनराशि के अग्रिम आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त शासनादेश की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही हैं कि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि का अग्रिम आहरण करते हुए हौसला पोषण योजना फीडिंग कार्यक्रम का सुचारू संचालन कराना सुनिश्चित करें। धनराशि का अग्रिम आहरण वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा एवं इसी आधार पर ही व्यय के दिनों की संख्या निर्धारित करते हुए तद्नुसार समायोजन किया जायेगा।

अग्रिम आहरित धनराशि का समायोजन समय से कराते हुए महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रेषित डी0सी0 बिल की प्रति के साथ अनिवार्य रूप से निदेशालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक :– यथोक्त।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन /तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महा निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. अपर निदेशक (वित्त), मुख्यालय।
6. उप निदेशक, मुख्यालय को इस आशय से कि संलग्नकों सहित इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करायें।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक

हौसला पोषण फीडिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत अति कुपोषित बच्चों के भोजन आदि के लिये अग्रिम धनराशि का अनुमानित व्ययभार

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अनुमानित अति कुपोषित बच्चों की संख्या	अनुमानित व्ययभार (मासिक)	03 माह हेतु अनुमानित व्ययभार
1	2	3	4	5
1	आगरा	14994	5247900	15743700
2	अलीगढ़	8348	2921800	8765400
3	इलाहाबाद	29076	10176600	30529800
4	अम्बेडकर नगर	10676	3736600	11209800
5	अमेठी	5746	2011100	6033300
6	अमरोहा	4071	1424850	4274550
7	औरैया	1384	484400	1453200
8	आजमगढ़	32349	11322150	33966450
9	बदायू	9444	3305400	9916200
10	बागपत	3030	1060500	3181500
11	बहराइच	14533	5086550	15259650
12	बलिया	24437	8552950	25658850
13	बलरामपुर	7440	2604000	7812000
14	बांदा	5881	2058350	6175050
15	बाराबंकी	12201	4270350	12811050
16	बरेली	12149	4252150	12756450
17	बस्ती	9706	3397100	10191300
18	बिजनौर	8817	3085950	9257850
19	बुलन्दशहर	15035	5262250	15786750
20	चन्दौली	6123	2143050	6429150
21	चित्रकूट	6011	2103850	6311550
22	देवरिया	27701	9695350	29086050
23	एटा	4562	1596700	4790100
24	इटावा	1769	619150	1857450
25	फैजाबाद	7407	2592450	7777350
26	फर्रूखाबाद	4507	1577450	4732350
27	फतेहपुर	8317	2910950	8732850
28	फिरोजाबाद	9143	3200050	9600150
29	गौतमबुद्ध नगर	2317	810950	2432850
30	गाजियाबाद	5975	2091250	6273750
31	गाजीपुर	17929	6275150	18825450
32	गोण्डा	13265	4642750	13928250
33	गोरखपुर	18875	6606250	19818750
34	हमीरपुर	3910	1368500	4105500
35	हापुड़	5375	1881250	5643750
36	हरदोई	22903	8016050	24048150
37	हाथरस	5196	1818600	5455800
38	जालौन	6201	2170350	6511050

हौसला पोषण फीडिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत अति कुपोषित बच्चों के भोजन आदि के लिये अग्रिम धनराशि का अनुमानित व्ययभार

क० सं०	जनपद का नाम	अनुमानित अति कुपोषित बच्चों की संख्या	अनुमानित व्ययभार (मासिक)	03 माह हेतु अनुमानित व्ययभार
1	2	3	4	5
39	जौनपुर	12058	4220300	12660900
40	झांसी	5287	1850450	5551350
41	कन्नौज	2360	826000	2478000
42	कानपुर देहात	5431	1900850	5702550
43	कानपुर नगर	6363	2227050	6681150
44	कासगंज	4781	1673350	5020050
45	कौशाम्बी	9005	3151750	9455250
46	लखीमपुर खीरी	26648	9326800	27980400
47	कुशीनगर	21452	7508200	22524600
48	ललितपुर	8075	2826250	8478750
49	लखनऊ	3888	1360800	4082400
50	महाराजगंज	9004	3151400	9454200
51	महोबा	1056	369600	1108800
52	मैनपुरी	5130	1795500	5386500
53	मथुरा	5476	1916600	5749800
54	मऊ	10133	3546550	10639650
55	मेरठ	6922	2422700	7268100
56	मिर्जापुर	10342	3619700	10859100
57	मुरादाबाद	7496	2623600	7870800
58	मुजफ्फर नगर	5506	1927100	5781300
59	पीलीभीत	3343	1170050	3510150
60	प्रतापगढ़	9596	3358600	10075800
61	रायबरेली	9804	3431400	10294200
62	रामपुर	7109	2488150	7464450
63	सहारनपुर	12100	4235000	12705000
64	संत रविदास नगर	5453	1908550	5725650
65	संत कबीर नगर	5513	1929550	5788650
66	शाहजहांपुर	7230	2530500	7591500
67	सम्भल	5079	1777650	5332950
68	शामली	1616	565600	1696800
69	श्रावस्ती	6216	2175600	6526800
70	सिद्धार्थ नगर	8343	2920050	8760150
71	सीतापुर	18370	6429500	19288500
72	सोनभद्र	7742	2709700	8129100
73	सुल्तानपुर	8518	2981300	8943900
74	उन्नाव	9474	3315900	9947700
75	वाराणसी	7456	2609600	7828800
	योग :–	**706178**	**247162300**	**741486900**

संख्या-74/2016/3034/60-2-16-2/3(01)/12 टी.सी.।

प्रेषक,

अरूण कुमार मिश्र
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 27 दिसम्बर, 2016

विषय : अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अति कुपोषित बच्चों हेतु हौसला फीडिंग कार्यक्रम हेतु धनराशि के अग्रिम आहरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-969/बा0वि0परि0/लेखा/2016-17, दिनांक 21.09.2016 के संदर्भ में अवगत कराना है कि आंगनवाड़ी केन्द्रों पर हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत 06 माह से 06 वर्ष तक की आयु के अति कुपोषित बच्चों के पोषण हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश संख्या-41/2016/2000/60-2-16-2/3(01)/12 टी.सी.1 दिनांक 08.07.2016 द्वारा रूपये 1,25,00.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-62/2016/2782/60-2-16-2/3(01)/12 टी.सी.1 दिनांक 30.09.2016 द्वारा रूपये 1,73,93.50 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। इसी धनराशि में 06 माह से 06 वर्ष तक की आयु के अति कुपोषित बच्चों को गरम पका पकाया भोजन खिलाने हेतु रूपये 3302.32 लाख प्रतिमाह की दर से 03 माह (15 जुलाई से 15 अक्टूबर, 2016 तक) के लिए रूपये 99,06,96,000/- (रूपये निन्यानब्बे करोड़ छः लाख छियानब्बे हजार मात्र) की धनराशि के अग्रिम आहरण की स्वीकृति शासनादेश संख्या-46/2016/2073/60-2-16-2/3(01)/12 टीसी-I, दिनांक 12 जुलाई, 2016 द्वारा दी गयी है।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 06 माह से 06 वर्ष तक की आयु के अति कुपोषित बच्चों को गरम पका पकाया भोजन खिलाने हेतु रूपये 2471.62 लाख प्रतिमाह की दर से 03 माह 15 दिन (16 दिसम्बर, 2016 से 31 मार्च, 2016 तक) के लिए रूपये 86,50,67,000/- (रूपये छियासी करोड़ पचास लाख सरसठ हजार मात्र) की धनराशि के अग्रिम आहरण करने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशि का अग्रिम आहरण वित्त (लेखा), अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.83 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10.06.11 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(2) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी धन को आहरित करेगा, वहीं उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) प्रश्नगत प्रकरण में समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कराते हुए भुगतान के अग्रिम आहरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए यथासमय अग्रिम आहरण का समायोजन महालेखाकार से कराकर स्थिति से वित्त विभाग को अवगत करायेंगे।

(4) उपरोक्त अग्रिम का आहरण प्रत्येक माह अर्थात दिसम्बर, 2016, जनवरी, फरवरी, 2017 माह प्रारम्भ होने पर अलग-अलग किया जायेगा। अग्रिम आहरण के फलस्वरूप शासन को यदि कोई हानि होती है, तो उसके लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(5) धनराशि निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा।

(6) क्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता एवं दर सुनिश्चित करने का दायित्व क्रेता विभाग का होगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सामग्री की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो एवं मूल्य प्रचलित बाजार दर से अधिक नहीं होगा।

(7) समस्त स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2017 तक सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(8) इस योजना के अन्तर्गत धन संचरण, लेखों के रख-रखाव, आडिट इत्यादि के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-18-अति कुपोषित बच्चों के लिए फीडिंग कार्यक्रम के मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति' के नाम डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-एफ.ए.-489(1)/दस-2016, दिनांक 22.12.2016 के द्वारा दी गयी सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरूण कुमार मिश्र)
विशेष सचिव

संख्या-74/2016/3034(1)/60-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/वित्त लेखा अनुभाग-1।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।